उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या 1/2020/ सी. पी. 76/84-2-2020-सीपी 25/2017 टी.सी.-3

लखनऊ : दिनांक : 04 मई 2020

**अधिसूचना**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1)(1क) के अंतर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री राजेन्द्र सिंह,<br>से.नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश<br>एच- 608, ग्रीनउड अपार्टमेंट , सेक्टर-1 गोमती नगर विस्तार ,लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 226010 | सदस्य<br>(पूर्णकालिक) |
| 2. | श्री सुशील कुमार द्वितीय,<br>जनपद न्यायाधीश<br>जनपद न्यायाधीश आवास ( कपूरथला कोठी ), निकट बीएसएनएल ऑफिस,बहराइच,उ.प्र. पिन कोड -271801 | सदस्य<br>(पूर्णकालिक) |
| 3. | श्री विकास सक्सेना,<br>अतिरिक्त जिला जज(प्रतिनियुक्ति विधि अधिकारी उ.प्र. राज्य मानवाधिकार आयोग )<br>उ.प्र. राज्य मानवाधिकार आयोग ,टीसी 34,वी 1, विभूति खंड ,गोमती नगर ,लखनऊ-226010 | सदस्य<br>(पूर्णकालिक) |

आज्ञा से,

ओ.पी.वर्मा
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1/2020 /सीपी 76(1)/84-2-2020 - सीपी 25/2017 टी.सी.-3 तद दिनांक

प्रतिलिपि -अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित,निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने एवं 50 मुद्रित प्रतियां उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(संलग्नक-यथोक्त।)

आज्ञा से,

बी.बी. सिंह
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1 /2020 /सीपी 76(2)/84-2-2020 - सीपी 25/2017 टी.सी.-3 तद दिनांक

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव,भारत सरकार,उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग),कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

(3) महानिबन्धक,मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद।

(4) निबन्धक,राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0,सी-1,विक्रान्तखण्ड-1,गोमती नगर,लखनऊ।

(5) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।

(6) जिलाधिकारी, लखनऊ ।

(7) मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ ।

(8) निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0।

(9) निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

(10) सम्बन्धित व्यक्ति को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिवसों के अंदर राज्य उपभोक्त विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0,सी-1,विक्रान्तखण्ड-1,गोमती नगर,लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें (द्वारा निबन्धक,राज्य आयोग।)।

(11) मीडिया प्रभारी,मुख्य सचिव/विशेष कार्याधिकारी (मीडिया), उ0प्र0 शासन।

(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

बी.बी. सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Consumer Protection and Weight and Measurement Section-2
No. 1 /2020/ CP 76 /84-2-2020-CP 25/2017 TC-3
Lucknow :: Dated :: 4 May 2020

Notification

In pursuance of the provisions of clause (3) article 348 of the constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 1/2020/ CP 76 /84-2-2020-CP 25/2017 TC-3 ,dated May 04, 2020 :

No. 1 /2020/ CP 76 /84-2-2020-CP 25/2017 TC-3
Lucknow :: Dated :: 04 May 2020

In exercise of the powers under section 16 of the Consumer Protection Act 1986 (Act No.68 of 1986) the Governor on the recommendation of selection committee constituted under sub section (1)(1A) of the said Section, is pleased to appoint the following persons to the office of the Members with effect from the date of their taking over charge for five years or upto the age of 67 years which ever is earlier in the State Consumer Dispute Redressal Commission:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Sri Rajendra Singh,<br>District & Sessions judge (Retd.)<br>H-608, Greenwood Apartment, Sector-1, Gomti nagar Extension,Lucknow,U.P.Pin Code -226010. | Member<br>(Whole Time ) |
| 2. | Sri Sushil Kumar-II<br>District judge.<br>Janapad Nyayadhish Awas(kapurathala kothi, Near BSNL office, Bahraich ,U.P. Pin code - 271801 | Member<br>(Whole Time ) |
| 3. | Sri Vikas Saxena,<br>Addl.District judge (Law Officer, U.P. State Human Right Commission on Deputation)<br>U.P. State Human Right Commission,T.C.34,V 1,Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow -226010 | Member<br>(Whole Time ) |

By Order

O.P. Verma
Special Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।